

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कमोंक -सामान्य/II/.....9/2019

दिनांक 31.10.2019

- आदेश-

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान सरकार की अधिसूचना कमोंक प.14(3)न्याय/2018 दिनांक 22.10.2019 द्वारा निम्नलिखित नवसृजित अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को उसके नाम के आगे अंकित सेशन न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने हेतु एतद्वारा अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त करता है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	सेशन न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, लक्ष्मणगढ़	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर	लक्ष्मणगढ़

आदेशानुसार,

(सतीश कुमार शर्मा) 31/10/19
रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कमोंक सामान्य/II/2019/1558

दिनांक 31.10.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर
2. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर।
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, लक्ष्मणगढ़।
5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आंगामी अंक में प्रकाशन हेतु।
7. प्र.अ.न्या. अधीनस्थ न्यायालय स्था. शाखा, रा.उ.न्या., जोधपुर।

(सतीश कुमार शर्मा) 31/10/19
रजिस्ट्रार जनरल